

कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर (म.प्र.)

क्रमांक 136/2024

शाजापुर, दिनांक-02.03.2024


:: संशोधित कार्यालयीन-आदेश ::

में श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर (म0प्र0) माह –मार्च 2024 के संबंध में पूर्व में निर्धारित रिमाण्ड ड्यूटी में निम्नानुसार संशोधन करती हूँ, रिमाण्ड ड्यूटी उनके कार्यस्थल पर ही समय दोपहर 04.00 बजे से 05.00 बजे तक रहेगी तथा अन्य सार्वजनिक अवकाश के संबंध में पूर्व आदेश प्रभावशील रहेगा।

क्र.	शाजापुर मुख्यालय	मार्च 2024
1.	श्री आदिल खान जे.एम.एफ.सी. शाजापुर	25
2.	श्री अनिरुद्ध जैन जे.एम.एफ.सी. शाजापुर	8, 31
3.	डॉ. स्वाति चौहान जे.एम.एफ.सी., शाजापुर	16, 17
4.	श्रीमती हर्षिता जैन जे.एम.एफ.सी. शाजापुर	10, 24
5.	श्री सतीश कुमार शुक्ला जे.एम.एफ.सी. शाजापुर	03, 26, 29
	शुजालपुर मुख्यालय	
1.	श्री अचल पाल शर्मा	3, 08
2.	श्री अर्जित दुबे जे.एम.एफ.सी. शुजालपुर	24, 29
3.	श्रीमती गजल पहावा जे.एम.एफ.सी. शुजालपुर	25, 26, 10
4.	श्री तन्मय सिंह जे.एम.एफ.सी. शुजालपुर	16, 17, 31


नोट :-

1- रिमाण्ड ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा लिखित में समायोजित की जा सकती है, परस्पर समायोजन का आवेदन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण द्वारा उसकी स्वीकृति सहित हस्ताक्षरित हो, जिसकी अभिस्वीकृति सहित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शाजापुर को पर्याप्त समय पूर्व भेजी जायें। यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटगण समायोजन स्वयं के दायित्व पर करें।


021031624
(श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाजापुर म0प्र0

प्रतिलिपि-

- 1- कार्यालय माननीय प्रधान जिला जज महोदय, शाजापुर की सादर प्रेषित।
- 2- श्री आदिल खान/श्री अनिरुद्ध जैन/डॉ० स्वाति चौहान/श्रीमती हर्षिता जैन/श्री सतीश शुक्ला जे.एम.एफ.सी शाजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- श्री अचलपाल शर्मा/श्री अर्जित दुबे/श्रीमति गजल पहावा/श्री तन्मय सिंह जे.एम.एफ.सी. शुजालपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


021031624
(श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाजापुर म0प्र0